संविधान प्रदत्त बाल अधिकार : किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के सन्दर्भ में विशेष अध्ययन

मानवेन्द्र

परिचय

शब्द juvenile (किशोर) जिसका लैटिन मे juvenis (ज्यूविसिस) से बना है जिसका मतलब ''युवा'' से है तथा किशोर न्याय का मुख्य उद्देश्य उन सभी बच्चों की रक्षा व संरक्षण देना है। जिनमे शामिल विधि के साथ संघर्ष और अपराध को अक्सर विनिमय किया जा सकता है बच्चों से जुड़े अपराध की व्याख्या करता है।

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों और देखरेख और संरक्षण करने के लिए जरूरतमंद बालकों से संम्बधित विधि का, उनके विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उचित देखरेख, संरक्षण और उपचाार का उपबंध करते हुए तथा उनसे संम्बधित विषयो का न्यायनिर्णयन और व्ययन करने में बालकों के सर्वोत्तम हित में बालकों के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए तथा उनके अंतिम पुनर्वास के लिए समेकन और उससे संम्बधित या उससे आनुषंगिक विषयों का संशोधन करने के लिए अधिनियम को बनाने की जरूरत पडी़ अधिकारो से अभिप्राय ''मौलिक अधिकारो एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव प्राणी हकदार है। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप मे जिनकी गणना की जाती है, उनमे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों, नागरिक और राजनैतिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारो के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियो मे भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार काम करने का अधिकार एंव शिक्षा का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 15 के खण्ड (3), अनुच्छेद 39 के खण्ड (ड) तथा (च), अनुच्छेद 45 और 47 सहित, अनेक उपबंधो में राज्य पर यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक दायित्व अधिरोपित किया गया है कि बालको की सभी आवश्यकाताए पूरी की जा सके और उनके बुनियादी मानवीय अधिकारों का पूर्ण रूप से संरक्षण किया जा सकें। और भारत सरकार ने 11 दिसम्बर, 1992 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा अंगीकृत बालक के अधिकारों पर अभिसमय को स्वीकृत प्रदान की। जिसमें बालक के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने में सभी राज्य पक्षकारो द्वारा पालन किये जानें वाले मानकों के समूहों को निर्धारित किया गया। और यह समीचीन है कि उन बालकों, के लिए जिनका विधि का उल्लघंन करना अभिकथित है और पाया जाता है तथा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकताओं रखने वालें बालकों के लिए, बालक के अधिकारों पर अभिसमय, किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, 1985 (बींजिग नियम), अपनी स्वतंत्रता से वंचित किशोरों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र नियम 1990, अन्तर–देशीय दत्तक ग्रहण के संम्बध में बालकों के संरक्षण और सहयोग के लिए हेग अभिसमय 1993 और अन्य संम्बधित अन्तर्राष्ट्रीय लिखतों के लिए व्यापक प्रावधानों को बनाने के लिए किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 को पुनः अधिनियमित किया गया है। हमें सामाजिक दृष्टि से बच्चों के अधिकारों को सही ढंग से पहचानना होगा और जरूरत के आधार पर सही दिशा देनी होगी।

हमारे पास सशक्त संविधान होने के बावजूद जिसमे विभित्र प्रकार के नागरिक अधिकार एवं बाल केन्द्रित सेंवाओं की गांरटी प्रदान करता हैं तथा उपबंध करता हैं फिर भी हमारे सामने किशोंर न्याय प्रणाली को समस्या का सामना करना पड़ता हैं। कई आधारों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक कुल 60,539 किशोर थे जो 2014 के दौरान विभित्र किशोर बोर्डो के समक्ष गिरफ्तार कर पेश किया गया। स्थानीय विधि (एसएलएल) के अनुसार वर्ष 2014 मे 5:95 था, जबकि अनुपात वर्ष 2013 मे लगभग 9:91 था । विशेष और स्थानीय कानून (एसएलएल) अपराधों मे अधिकतम 12 वर्ष की आयु के किशोर गिरफ्तार किये गये। जबकि 16 साल से कम 11,220 जबकि अधिकतम लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था। 16 साल की कम उम्र के आयु वर्ग में 18 साल से कम 451 किशोर विशेष और स्थानीय विधि (एसएलएल) अपराधों के तहत कुल मिलाकर 48,230 से अधिक किशोरों को गिरफ्तार किया गया। भारत मे ज्यादातर 16 से 18 साल के आयु वर्ग के पास है, जिन पर मुकदमा चलाया गया है। 2014 में यौन उत्पीड़न और हत्या जैसी गंभीर अपराधों के लिए किशोरों द्वारा यौन शोषण के

बढ़ते मामलों का पता चलता है। ज्यादा से ज्यादा 2001 में 399 मामलों की तुलना में 2011 में 149 मामलें दर्ज किए गए थें। यहां पर यह उल्लेंख करने के लिए प्रासंगिक है दिल्ली पुलिस ने एक किशोर को गिरफ्तार किया और 16 दिसम्बर 2012 को राजधानी में एक 23 वर्षीय लड़की को बेरहमी से बलात्कार और हमले मे लिए पांच अन्य को गिरफ्तार किया गया। इस पीड़िता की मौत हो गयी थी। ऐसे मामले किशोरों द्वारा हत्या पिछले दस वर्षो मे वृद्धि देखी गई। इसके अनुसार वर्ष 2011 आकड़ो पर नजर डाले तो महाराष्ट्र में 6770 किशोरों को गिरफ्तार किया गया था। मध्यप्रदेश मे 5794, छत्तीसगढ़ में 2692, राजस्थान में 2541 और गुजरात में 2510 हैं। आंध्रप्रदेश 2083, तमिलनाडु में 1204, उत्तरप्रदेश में 1126 और अन्य राज्यों मे 2474 कुल किशोरों को गिरफ्तार किया गया था। अगर हम परिवाार मे पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखतें हुए किशोरों का आंकड़ो से पता चलता हैं कि 27,577 ने अपराध किया हैं। जिनमे से 1924 किशोर बेघर थे, 4386 जो किशोर अपने माता–पिता के साथ रह रहे थे। उन्हे बुरा व्यक्ति या मानसिकता पर असर या मानसिक रूप से बीमार होना पाया गया। और कुछ किशोर आस पास कि परिस्थितियों से पीड़ित थे। अगर शुरूआती दौर मे बच्चें को गंभीर रूप से लिया जायें तो छोटे अपराध करने से रोक दिया जाये तो गंभीर परिणाम नही भुगतने होगें। और उसे दण्डित करने की बजाय अपराध का निवारण करना बेहतर होगा।

किशोर अपराध की समस्या नई नहीं हैं और यह प्रत्येंक मे प्रचलित है समाज और राष्ट्र जब सामाजिक संबंधो को प्रभावित होते है, तो गंभीर हो जाता हैं व्यक्तियों के समूहों के बीच किशोर की समस्या को जन्म देते है। किशोर अपराध और उपेक्षा का मुद्दा तुलनात्मक रूप से कम है भारत जैसे विकासशील देशों में लेकिन समय बीतनें के साथ बढ़ रहा हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार देश मे दर्ज किए गए कुल अपराधों मे अपराध करनें वाले ज्यादातर किशोर है जो पिछले चार वर्षो में वृद्धि है जो राष्ट्र के लिए चिंताजनक आकड़े है। विभित्र सिद्धान्तो और अध्ययनों सें पता चला है कि सबसे ज्यादा अपराध और उपेक्षा के जिम्मेदार है जो आम बात है। और परिवार मे रिश्तों की मर्यादा तार तार होती, वित्तीय अस्थिरता, परिवार अलगाव, टुटे हुए घरों, शिक्षा की कमी, अस्वास्थ्यकर पर्यावरण की स्थिति, नस्लीय भेदभाव, जातिगत हिंसा, अन्य कारणो से किशोर अपराध की समस्या के लिए जिम्मेदार है।

किशोर कौन है : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) और संरक्षण अधिनियम, 2015 के अनुसार धारा 2 (35) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बालक से है। एक ऐसे बच्चें को परिभाषित किया गया है जिसने एक निश्चित आयु प्राप्त नही की हो और विधि के अनुसार जो की नाबालिग की श्रेणी मे आता है जो भले उसने वयस्क की तरह अपराध का व्यवहार करे लेकिल कानूनी तौर पर किशोर ही माना जायेगा और उसका विचारण किशोर न्याय के अनरूप किया जायेगा।

किशोर दुर्व्यवहार क्या है : दुर्व्यवहार एक बच्चें के समान्य और असमान्य व्यवहार मे परिवर्तन है एक बच्चा आमतौर पर अपराधी अपराध की श्रेणी मे तब आता है जब विधि विरूद्ध कार्यो करता है। तो उसका व्यवहार दुर्व्यवहार कहलाता है। और सामान्य जीवन रेखा से भटक गया है। जब एक किशोर अपराधी को विभित्र मानको मे परिभाषित एक आयु ऐसी अवैध और असामाजिक दिखाती है। जो व्यवहार समाज के लिए हानिकारक हो सकता है उसे एक किशोर कहा जा सकता है अपराधी जो किशोर अपराधी है जो कोई अपराध करते है और यह लड़को और लड़कियों दोनो सहित 18 वर्ष से कम आयु के किशोर अपराधी है।

जो युवा किशोर व्यक्ति जो विद्रोही और गैर आज्ञाकारी है अपराध करने मे लिप्त रहते है। जो की इस अधिनियम अनुसार है।

1. जो किशोर माता–पिता के साथ नही रहते है।
2. वह किशोर जिस पर नियत्रंण न हो जो की नियत्रंण से परे हो असाधारण दुर्व्यवहार।
3. बेकार पॉंकेटमार और जुआ खेलने वाले।
4. यौन अपराधो मे शामिल हो।
5. बाजार से माल चोरी करने वाले।
6. खराब व असभ्य भाषाओं का प्रयोग करने वालें।
7. मदक तस्करी मे लिप्त एवं चोरी आदि।

विधायी विकास :– भारत मे किशोर न्याय पर पहला कानून 1850 मे पूरे बल के साथ आया था। ''अपरेंटिस एक्ट'' जिसमे उनके प्रशिक्षण का प्रावधान था। अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए बच्चों के लिए पुर्नवास की प्रकिया और 10 से 18 वर्ष की उम्र के बीच इस अधिनियम को ''सुधारक'' कानून नाम दिया गया। जो प्रतिस्थापित किया गया था स्कूल अधिनियम 1897 और फिर बाल अधिनियम 1960 आया, किशोर न्याय अधिनियम 1986, किशोर के लिए प्राथमिक कानूनी रूपरेखा था न्याय और यह समान रूप से पूरे भारत मे लागू किया गया था। इसके अनुसार इस अधिनियम को रोकथाम के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार किया गया था और किशोर अपराध का उपचार और इसके लिए विशिष्ट दिशानिर्देश भी प्रदान किए गए किशोर न्याय के दायरे मे बच्चों के संरक्षण और पुर्नवास के लिए था। फिर नए कानून बाल अधिनियम 1960 की जगह ली। फिर संसद ने 1986 में किशोर पारित किया, जो पूरे देश के लिए किशोर न्याय पर एक समान कानून प्रदान किया। जो की जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर इस अधिनियम से प्रत्येक राज्य मे पारित करने से पहले किशोर कानूनो पर अपने स्वय के अधिनियम थे। इसलिए अलग अलग राज्यों मे किशोरो के इलाज के लिए उपयोग किया जाता था लेकिन पहले अधिनियम से कोई ठोस परिणाम सामने नही आया। किशोर न्याय और जिस तरह से किशोरों का इलाज किया जाता था कोई सुधार नही हुआ था। सरकार ने किशोरो के लिए विशेष सुधारगृह भी तैयार किये थें। किशोर न्याय के मामले मे अन्तर्राष्ट्रीय सुधार देर से आया था। 1990 के दशक मे, फिर से इस मामले को कई बार केन्द्र स्तर पर उठाया गया। और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दोनो स्तरो पर एक बहस आयोजित कि किशोर न्याय के संवेदनशील मुद्दे पर साथ साथ काम किया। केन्द्र सरकार द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर बाल अधिकार के बारे मे मंत्रालय द्वारा समिति का गठन किया और सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए किशोर न्याय के लिए एक नया कानून तैयार करने के लिए किया। जिसके परिणाम किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 भारत सरकार ने प्रमुख कदम उठाया और किशोर न्याय 1986 अधिनियम को रद्द कर दिया गया। फिर 2006 मे अधिनियम 2000 को संशोधन के लिए फिर से संशोधन किया गया। और किशोर न्याय को नई जरूरतो को उभरने के लिए और यूएनआरसी के सिद्धान्तों के साथ अच्छे तालमेल करना निम्न उद्देश्य था। किशोर न्याय अधिनियम, 2000 से संम्बधित विधि में संशोधन करना था। विशेष देखभाल, संरक्षण, उचित देखभाल की आवश्यकता वाले कानून और बच्चों के विकास की आवश्यकताओं का प्रावधान करता है जो निर्णय कर बच्चों के उपचार कर उनके अनुकूल दृष्टिकोण का अपनाने और बच्चों के स्वभाव के मामले मे बच्चों के सर्वोत्तम हित और विभित्र तरीको से उनके पुर्नवास एवं कल्याण के लिए एक संस्था जो कि समय के साथ बाल कल्याण विकास एवं सुरक्षा के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा मार्च 2007 मे बाल अधिकार (एनसीपीआर) का गठन किया गया। इसमे सभी नीतियां, कार्यक्रमों और विधि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाल विधि के अनुरूप विभित्र कार्यक्रमों और राष्ट्रीय नीतियों अधिकार आधारित अवधारणाएं, साथ मे राज्यों और जिलों के विभित्र अवधारणाओं के साथ विशिष्टता का ध्यान रखना। और पूरे राज्यों मे इस आयोग को पुरी शक्ति के साथ उद्देश्य को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। और देश के हर बच्चें की सुरक्षा के लिए कार्य करने आवश्यकता है। यह आयोग विभित्र स्तरों पर बच्चों के लिए जमीनी स्तर से कार्य करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एंव संरक्षण) अधिनियम, 2015 :

1 जनवरी 2016 से लागू हो गया है। और अधिनियम 2000 निरस्त हो गया है। नया अधिनियम और बेहतर ढंग से बच्चों की देखभाल और उनका संरक्षण सुनिश्चित करेगा। साथ ही कानून के साथ विवाद मे भी उनके हितों का ध्यान रखेगा। इसमे कुछ मुख्य प्रावधान निम्न है।

अधिनियम मे 'किशोर' शब्द से जुडे कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने के लिए 'किशोर' शब्द से 'बच्चे' शब्द की नामावली मे परिवर्तन। अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों की नई परिभाषाओं मे शामिल किया गया। बच्चों के छोटे, गम्भीर और जघन्य अपराध, किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समिति के अधिकारो और जिम्मेदारियों का स्पष्टीकरण के द्वारा जांच का प्रावधान। धारा 15 के अन्तर्गत 16 से 18 साल की उम्र के बाल अपराधियों के द्वारा किए गए जघन्य अपराधों को लेकर विशेष प्रावधान किए गए है। जिसमे सात साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा इस अधिनियम मे गोद लेने की प्रकिया तथा पुर्नवास तक निम्न प्रावधान है। जिसमे बच्चों के अधिकारो के साथ संरक्षण प्रदान करता है। जो की संविधान के तहत इनकी रक्षा करता है।

किशोर न्याय प्रणाली की अवधारणा :– किशोर न्याय प्रणाली की अवधारणा किशोर अपराध और असामान्य परिस्थितियों के रूप उभरा है। जो किशोरों की पांरम्परिक प्रक्रियाओं के आधार पर समस्याए नही कह सकते है। किशोर न्याय प्रणाली की जरूरतों के आधार पर बनाया गया है। किशोर व्यक्ति के एक अपराध और उनके पुर्नवास के लिए दोषी ठहराया गया है। किशोर सुधार न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बालकों और किशोरो के लिए निवारक विधि गौण रूप से पुर्नवास और बेहतर समाजीकरण व्यवस्था करता है।

अपराध की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा उपचार विधि तीन प्रकार से जानी जाती थी। सबसे पहले उचित प्रक्रिया का मॉडल, दुसरा कल्याण और माता पिता का सहयोग, तीसरा किशोर न्याय प्रणाली है सरकार द्वारा इस उठाए गए निवारक कदम जो कि बच्चों के कल्याण और देखभाल के संबंध मे भारत का संविधान बच्चों को अनुच्छेद 15 (3) के तहत विशेष मान्यता देता है। जिसमे अनुच्छेद 21 क, 24, 39 (ई), और (एफ), और 45 जो कि किशोर न्याय के तीन मॉडल द्वारा मान्यता देता है। किशोर अपराधियों से निपटने के लिए मौजुदा प्रणाली निम्न है।

1. प्रकियात्मक मॉडल
2. सामाजिक कल्याण मॉडल
3. सहभागिता प्रक्रिया मॉडल

न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका : विधायिका और कार्यपालिका के कार्यो के व्यापक अधिकार क्षैत्र के साथ भारत की एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है। जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यपालिका के कार्यो की समीक्षा की जाती है। इसे आम तौर पर स्वतंत्र न्यायपालिका की बुनियादी संरचना के रूप मे जाना जाता है। हालांकि न्यायिक संरचना को विधायी कार्यो की समीक्षा, न्यायिक फैसलों की समीक्षा, और प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा के रूप मे तीन श्रेणियों मे वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए शक्तियों के संतुलन को बनाए रखना, मानव अधिकारों, मौलिक अधिकारों और नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा को सुनिशचित करना न्यायपालिका का कर्त्तव्य है।

महत्व : भारत मे किशोर अपराध एक बड़ी समस्या है और पुरे विश्व के लिए भी है। तथ्य यह है कि ''अगर आज के अपराधी बच्चों का उचित रूप से ध्यान नही दिया गया तो कल यह एक हार्डकोर अपराधी बन जायेगा। आपराधिक व्यवहार या अपराध बच्चों के बीच मे इसमे से पहले की वे समाज के लिए गंभीर खतरा बनने से पहले यह नियंत्रित हो सकते है।'' समाज और राष्ट्र विभित्र अधिकारिक एजेंसियों द्वारा आकड़े प्रदान किये जाते है। आकड़े समय समय पर किशोरों द्वारा अपराध की घटनाओं की बढ़ती प्रवृति का पता चलता है। विभित्र तथ्यों और कारणों के मुताबिक आवश्यक अपराध अध्ययन भी अपराधी बच्चों की समस्या का जवाब प्रदान करते है।

निष्कर्ष : इस प्रकार से विश्लेषण किया गया है जो विधानमंडल के द्वारा इतने सारे बाल अधिकार से संम्बधित बनाई गई विधि है। लेकिन अभी भी इससे बहुत संमस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। जो की अभी तक जो भी विधियां बनी है। वो भी लाचार साबित होती दिख रही है।

शोधार्थी,
कानून एवं शासन प्रणाली विभाग, करियर पॉइंट यूनिर्वसिटी, कोटा, राजस्थान

संदर्भ ग्रंथ सुची

1. The Protection of Civil Rights Act ,1955
2. The Commissioner For Protection of Child Rights Act, 2005
3. The Juvenile Justice (care and Proection of children) Act, 2015
4. The Child Marriage Restrant Act, 1929
5. The Inmoral Traffic (Prevention) Act, 1956

6. The Mental Health Act, 1987
7. The Rehabiliation council of india Act, 1992
8. The Child Labour (Prohibition and Regulation) act, 1986
9. The Contract Labour (Regulation and Aboltion) Act , 1970
10. The Apprentices Act, 1961
11. The Right of children to free and Compulsory Eduction Act,2009
12. The Proection of Human Rights Act,1993
13. The Constitution of India , 1949
14. www. Bar Journls.com
15. World Report 2011 : India "Human Rights Watch"
16. The Protection of Children from sexual Offences Act 2012